

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

क्षेत्रीय कार्यालय, एच-169, सेक्टर गामा-2

ग्रेटर-नोएडा सिटी, गौतमबुद्धनगर।

संख्या: 731/क्षे0का0/उ0प्र0रेरा/पंजी0प्रतिसंहरण/2019-20

दिनांक: 23 मई, 2019

प्रेषक

सचिव,
उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,
लखनऊ।

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
एक्सिस बैंक,
ओफिस न.-1, प्लॉट न. ए-41,
द कोरएन्थम, सेक्टर-62, नोएडा।

विषय: मे0 उन्नति फार्च्यून होल्डिंग्स प्रा0लि0 की उ0प्र0 रेरा में पंजीकृत परियोजना 'दि अरन्या' फेज-3, 4 एवं 5 रेरा पंजीयन संख्या UPRERAPRJ6988, UPRERAPRJ7010 एवं UPRERAPRJ7028 के बैंक एकाउन्ट्स निष्क्रिय (फ्रीज) करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे आप से यह कहने के निर्देश हुए हैं कि उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के आदेश संख्या 715, 716 एवं 717 दिनांक 23 मई, 2019 द्वारा मे0 उन्नति फार्च्यून होल्डिंग्स लि0 की जनपद गौतमबुद्ध नगर, नवीन ओखला इण्डस्ट्रियल डेवलपेन्ट अथारिटी में स्थित/आनगोइंग परियोजना दि अरन्या फेज-3, पंजीयन संख्या-UPRERAPRJ6988, अरन्या फेज-4 UPRERAPRJ7010 एवं अरन्या फेज-5 UPRERAPRJ7028 का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। प्रमोटर मे0 उन्नति फार्च्यून होल्डिंग्स लि0 को उ0प्र0 रेरा की वेबसाइट पर पहुंच बनाने से प्रतिबन्धित कर दिया गया है। सम्बन्धित बैंकों को परियोजना का बैंक एकाउन्ट निष्क्रिय (फ्रीज) करने के आदेश दे दिए गए हैं। प्रमोटर की फोटो उ0प्र0 भू-सम्पदा की वेबसाइट up-rera.in पर डाल दी गई है तथा उसे डिफाल्टर (चूककर्ता) की सूची में डाल दिया गया है।

अतः भू-सम्पदा (नियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 के प्राविधानों के दृष्टिगत आप से अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत परियोजना का आप की बैंक शाखा में एकाउन्ट नं0 913020047302984 को तत्काल निष्क्रिय (फ्रीज) करने तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

/

(अबरार अहमद)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:

1. मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को अवलोकनार्थ कृपया।
2. मा0 सदस्यगण, उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
3. प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया।
4. प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को इस अनुरोध से कि कृपया उपर्युक्त तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
6. तकनीकी सलाहकार, उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को अग्रतर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सहायक निदेशक (सिस्टम्स) उ0प्र0 रेरा को समस्त बैंक शाखाओं को ई-मेल द्वारा भेजने तथा उ0प्र0 रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. कार्यालय प्रतिलिपि।


(अबबार अहमद)
सचिव